न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 07/2016

नागेन्द्र पासवान बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी नागेन्द्र पासवान के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा गोपनीय शाखा के ज्ञापांक 2262/गो0 दिनांक 03.11.2016 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है दिनांक 04.05.2016 को निरीक्षण के क्रम में दुकान से अपीलार्थी अनुपस्थित पाये जाने के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा अपने ज्ञापांक 1502/गो0 दिनांक 10.06.2016 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया। अपीलार्थी द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया। पुनः ज्ञापांक 1688/गो0 दिनांक 30.07.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.08.2016 को प्रथम कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया। समर्पित कारण पृच्छा में अपीलार्थी का जवाब–

1. पंचायत निर्वाचन 2016 में पत्नी जिला परिषद सदस्य से चुनाव लड़ रही थी, जिसके प्रचार प्रसार हेतु तटबंध के अन्दर गये हुए थे जिसके कारण दुकान पर उपस्थित नहीं थे।
2. दुकान पर सूचना पट्ट एवं मुख्य भंडार तालिका नहीं करने के संदर्भ में जवाब दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कुछ शरारती बच्चों के द्वारा हटा दिया होगा।
3. दुकान बंद पाये जाने के संदर्भ में विक्रेता के द्वारा क्रमांक 1 में अंकित जवाब दिया।
4. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के द्वारा जॉच हेतु भंडार पंजी, वितरण पंजी की मॉग किये जाने पर नहीं देने के सन्दर्भ में दाखिल जवाब जॉच पदाधिकारी को पंजी उपलब्ध करा दिया गया है।
5. महिषी थाना कांड संख्या– 43/16 में दर्ज मुकदमा में लगाये गए आरोप मतदाताओं को सीलबंद गेहूँ का बोरा दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी का जवाब मरे द्वारा किसी को सील बंद बोरा नहीं दिया गया है।

संतोष प्रद स्पष्टीरकण नहीं पाने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा ने अपने ज्ञापांक 2262 दिनांक 03.11.2016 के द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 373/07 को रद्द कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील दाखिल किया गया है।

अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के विन्दु पर अपीलार्थी का दलील है कि वे जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति संख्या– 373/2007 के तहत पस्तपार ग्राम महिषी प्रखंड अन्तर्गत आवंटित सामग्रियों का उठाव कर नियमित रूप से उपभोक्ताओं के बीच वितरण करते आ रहे है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 1502 दिनांक 10.06.2016 द्वारा उनसे कारण पृच्छा की मॉग की गयी। उनके द्वारा कारण पृच्छा समर्पित करने पर ज्ञापांक 1688–2 दिनांक 30.07.2016 द्वारा अपीलार्थी से दोबारा कारण पृच्छा की मॉग की गई।

अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से कागजातों की मॉग की जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराकर उन्हें सुने बिना अनुज्ञप्ति रद्ध कर दी गयी है। अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि जॉच उनकी उपस्थिति में न ही की गयी और उन्हें सुना भी नहीं गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महिषी थानाकांड 43/16 जो राजनीति प्रतिद्वन्ता एवं दुश्मनी से प्रेरित है को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया जो न्यायोजित नहीं है।

अतः अपीलार्थी ने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने की याचना की गयी। चूँकि अधिकृत जॉच पदाधिकारी की जॉच के दौरान अनियमितताएँ पायी गयी, जिसके संदर्भ में इनसे कारण पृच्छा की गयी और इनके द्वारा इसका जवाब भी दिया गया, तथा उसी के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी–सह– अुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आदेश पारित किया गया।

उल्लेखित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

अतः अपील वाद खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

4.3.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

4.3.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।